

सिंह, पटेल नाम  
नार्थ प्रेषित।

## लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, निदेशक-श्री दिग्विजय सिंह, पिता-श्री रविन्द्र सिंह, पटेल नगर, दुर्गामंदिर के पास, छोटागोविंदपुर, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड द्वारा भोजपुर सोन-25 बालू घाट, मौजा-करवासीन एवं नानौर, ब्लॉक-अगिआंव, जिला-भोजपुर के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत दिनांक 31.07.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अंचल कार्यालय अगिआंव, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2284/2023, dated 03.02.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार झा, अपर समाहर्ता, भोजपुर (जिला पदाधिकारी, भोजपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे भोजपुर सोन-25, अंचल कार्यालय अगिआंव, जिला-भोजपुर में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण के माध्यम से दिनांक 29.06.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री आशीष कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि रंजन कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भू-जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण (770 नं०) का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-


क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री राकेश कुमार सिंह, ग्राम-नानौर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि बालू खनन के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ता है, धूल उड़ता है। इसका क्या उपाय किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया पानी का छिड़काव दिन में 02 बार किया जायेगा, नदी से मुख्य सड़क तक पेड़ लगाये जायेंगे। सड़क का रख-रखाव किया जायेगा, बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढककर ले जाया जायेगा, ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा।
2.	श्री दीपक कुमार सिंह, ग्राम-नानौर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन जब शुरू किया जायेगा तो स्थानीय ग्रामीण को क्या लाभ मिलेगा। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी। आस-पास के गाँव में वृक्षारोपण किया जायेगा। कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी की राशि से गाँव का विकास किया जायेगा।
3.	श्री सोनू कुमार सिंह, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना जब शुरू होगा तब पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताये गये उपाय भौतिक रूप से हो रहा है या नहीं इसकी जाँच कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि हर 06 माह में एक बार पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन की एक-एक कॉपी SEIAA, Bihar एवं B.S.P.C.B को भेजी जाती है। अनुपालन पूरा नहीं होने पर विभाग द्वारा कारवाई की

		जाती है।
4.	श्री दीपक कुमार सिंह, ग्राम-नानौर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू खनन के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ता है, धूल उड़ता है। पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाय एवं पेड़ लगाये जाये।
5.	श्री शाली राम चौधरी, ग्राम-नानौर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा बताया गया कि गाँव का रोड़ क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसकी मरम्मत कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि घाट से मुख्य सड़क तक पहुँच -पथ का रख-रखाव संवेदक के द्वारा किया जायेगा।
6.	श्री चंदन कुमार, ग्राम-नानौर, जिला-भोजपुर।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन परियोजना के दौरान कितने पेड़ लगाये जायेंगे और उनका रख-रखाव कौन करेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के दौरान 770 पेड़ लगाये जायेंगे। उनका रख-रखाव के लिए एक माली को रखा जायेगा, जो स्थानीय निवासी होंगे।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। प्रायः देखा जाता है कि बालू से लदे ट्रक को तिरपाल से ढककर ले जाया जाता है, परन्तु बालू लदे ट्रैक्टर को तिरपाल से नहीं ढका जाता है। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को भेजने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।










  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बि.रा.प्र.नि.पर्वद,पटना

  
अपर सहायक  
भोजपुर

उपस्थित सूची

मेसर्स महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, निदेशक-श्री दिग्विजय सिंह द्वारा सोन-25 बालू मौजा-करवासीन एवं नानौर, अंचल-अगिआंव, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

स्थान-अंचल कार्यालय अगिआंव, अगिआंव दिनांक 31.07.2023 समय-11:00 P.M

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मोहन गुंठा	ADM, Bhojpur	
2.	मोदी कुमार् गुंठा	श्री ५ पत्तिकाटो बि० १० ५० नि० पर्वट, पटना	 31-7-23
3.	शिवर गुंठा कुमार्	शक्ति विहार पहाड, सोनपुर	 31/07/23
4.	आर्या मिश्रा	खान निरीक्षक, भोजपुर	 31.7.2023
5.	Ravikanjan Kumar	Manager, Rian Enviro Pvt. Ltd	 31.07.2023
6.	Rakesh Kumar	Nanour	
7.	दीपक कुं सिंह	ग्राम नोनडर, पी० कवालिनि थाना - महार, अगिआंव	दीपक कुं सिंह
8.	मनोहर कुमार	नोनडर	मनोहर कुमार
9.	Shaligram Chaudhary	Vill-Nanour, Karbasin PS- <del>Shan</del> , Agriam, Bhojpur	
10.	Somkumar Singh	Vill-Nanour, Karbasin, PS Shan, Agriam Bhojpur	
11.	जगेश चौधरी	ग्राम नोनडर करवासीन थाना सहार अगिआंव नोनडर	जगेश चौधरी
12.	रूपेश कुमार्	ग्राम नोनडर करवासीन थाना सहार अगिआंव नोनडर	रूपेश कुमार्
13.	खरोज कुमार	ग्राम नोनडर करवासीन	खरोज कुमार
14.	वीर लक्ष्मण सिंह	ग्राम नोनडर करवासीन	वीर लक्ष्मण सिंह
15.	राकेश कुमार	ग्राम नोनडर करवासीन	राकेश कुमार
16.	नीरज सिंह	ग्राम नोनडर कवालिनि	नीरज सिंह
17.	Sundil Kumar	VILL-NONOUR (JAN), KARBASIN	
18.	Shaligram Chaudhary	VILL-NONOUR	शिवर कुमार् 2 सिंह

9.	शम वावू सिंह	गुप्त नानौर	शम वावू सिंह
20.	निरु कुमार	ग्राम नानौर	निरु कुमार
21.	संजय सिंह	ग्राम नानौर	संजय सिंह
22.	समिंद्र सिंह	ग्राम - नानौर	Samindra kumar
23.	सुरेंद्र सिंह	ग्राम नानौर	Sureshwar
24.	चंदन कुमार	ग्राम नानौर	Chandah Kumar
25.	संतनु कुमार	ग्राम नानौर	Santanu Kumar
26.	नारायण सिंह	ग्राम नानौर	Narayana Singh
27.	Ramesh Kumar	Nanour	Ramesh
28.	Sandeep Kumar	Banswari	Sandeep Kumar
29.	गणेश सिंह	नानौर	गणेश सिंह
30.	बुद्ध	Nanour	Buddh
31.	Mordhuaj Ray	Nanour	Mordhuaj Ray
32.	Rakesh Kumar	Nanour	Rakesh Kumar
33.	Mansum	Agion	Mansum
34.	Fateh	Banswari	Fateh
35.	मुकेश कुमार	M. K. Banswari	Mukesh
36.	प्रमोद कुमार	आरवाडी	Prm.
37.	कौशल सिंह	अभिमानिका (बाहर)	कौशल कुमार
38.	प्रमोद कुमार	नानौर	Prm.
39.	सोनी कुमार	अभिमानिका (बाहर)	Soni Kumar
40.	शुशी राजक	आरवाडी	शुशी राजक
41.	विद्याती माव Bittam. Kumar	नानौर	विद्याती माव